न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
55 / 2025	08.04.2025	01.05.2025

अनवान

1. प्रभुलाल पुत्र उदयराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. गेहरू लाल पुत्र शंकरलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. भैरूलाल पुत्र बक्षु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. गोवर्धन लाल पुत्र नाथु लाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. माधुलाल पुत्र छितर जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. गेहरू लाल पुत्र किशना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. नारायण लाल पुत्र हिरालाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. बद्रीलाल पुत्र उदयराम जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. भैरूलाल पुत्र गणेश लाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. बाली बाई पत्नी छितर जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. लवकुश पुत्र बाबुलाल जाति पाराशर आयु वयस्क निवासी सैंती, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– प्रार्थी स्वयं — प्रार्थी

एक तरफा — अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राजपुरा पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की आराजीयात आराजी संख्या 36, 309, 303, 164, 165, 171, 323, 324, 325, 35, 170 कुल किता 11 कुल रकबा 5.68 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। हाजिर प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के सहखातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सह खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की सहखातेदारी की आराजीयात मौजा राजपुरा पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की आराजीयात आराजी संख्या 36, 309, 303, 164, 165, 171, 323, 324, 325, 35, 170 कुल किता 11 कुल रकबा 5.68 हैक्ट0 कृषि भूमि मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 निम्बाहेडा को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौडगढ़

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ़